न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।
उपस्थितः नरेन्द्र बहादुर यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा,

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या– 159/2016

अभिषेक राय पुत्र स्व0 गिरीश चन्द्र राय निवासी लेन नं0 3–ए लक्ष्मी नगर कालोनी कंचनपुर, थाना मण्डुवाडीह, शहर वाराणसी ——————————————पुनरीक्षणकर्ता,

प्रति

1– राज्य उत्तर प्रदेश ——————————————————————विपक्षीगण,

निर्णय

प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण प्रकीर्ण वाद संख्या 84/2016 अभिषेक राय बनाम रिंकी राय आदि अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता थाना मडुवाडीह के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–7–2016 से क्षुब्ध होकर मुख्य रूप से इस आधार पर योजित किया गया है कि आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही ढ़ंग से अवलोकन नहीं किया गया। अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। प्रार्थनापत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि दिनांक 26–4–2015 को विपक्षी संख्या 1 ता 4 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को मारपीट कर उसका मोबाईल, ए.टी.एम. कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड व बहुमूल्य प्रपत्र ले लिया गया जिसके आधार पर संज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट होता है। उक्त दशा में आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

मैंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी की तरफ से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

आक्षेपित आदेश के परिशीलन से प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके उसमें कुल चार लोगों को विपक्षी के रूप में नामित करते हुए उनके विरूद्ध मामला पंजीकृत कराकर विवेचना कराने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते हुए हो जाने के बाद उसे मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिल गयी। अपने चाचा की पहल पर प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 की पुत्री रिंकी राय से विवाह कर लिया। विपक्षीगण प्रार्थी की सम्पत्तियों पर कब्जा करने के लिए झूठा मुकदमा करने लगे तथा प्रार्थी की मां व भाई द्वारा भी दीवानी व फौजदारी के कुछ मुकदमे विपक्षीगण पर किये गये। प्रार्थी को अपनी मां की पैतृक सम्पत्ति के बिक्रय से तेईस लाख रूपये प्राप्त हुए थे जिससे प्रार्थी ने दिनांक 14–3–2013 को विपक्षी संख्या 1 के नाम से भवन खरीदकर अपना रूपया लगाकर दो मंजिला मकान बनवाया तथा अपनी पत्नी से मुकदमा उठाकर प्रेम पूर्वक रहने के लिए कहा। दिनांक 26–4–2015 को प्रार्थी की पत्नी अपना आभूषण आदि लेकर अपने मायके में रहने लगी तथा प्रार्थी के समझाने पर विपक्षीगण ने प्रार्थी को मारपीट

कर उसका मोबाईल, ए.टी.एम. कार्ड, पासबुक आदि प्रपत्र अपने कब्जे में ले लिये। विपक्षी संख्या 1 कभी भी प्रार्थी के साथ नहीं रही तथा वह प्रार्थी के ए.टी.एम. से पैसा निकाल लेती थी। विपक्षी संख्या 2 ता 4 प्रार्थी को धमकी देकर नाजायज दबाव बनाते हैं तथा पीछा करवाते हैं। विपक्षीगण प्रार्थी का अपहरण कर सकते हैं। मुकदमा दर्ज करके उचित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी ने अपनी जान माल की सुरक्षा का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में पुनरीक्षणकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को भेजे गये प्रार्थनापत्र की छाया प्रति, छाया प्रति रजिस्ट्री रसीद, चिकित्सीय पर्चों की छाया प्रतियां दाखिल किया।

संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

स्वीकृत रूप से विपक्षी संख्या 1 रिंकी राय पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी की पत्नी हे तथा उसके द्वारा अपना आभूषण मायके लेकर जाना अभिकथित है। मोबाईल, ए.टी.एम.कार्ड, पासबुक आदि प्रपत्रों के संबंध में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कहा कि उसने अपना मोबाईल, ए.टी.एम. कार्ड ब्लाक कराकर उसके स्थान पर दूसरा मोबाईल व ए.टी.एम. कार्ड ले लिया है। पासबुक पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी के पास रहने की दशा में मात्र उसके आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को उसके द्वारा कोई क्षति नहीं कारित की जा सकती है।

विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16–7–2016 को आक्षेपित आदेश पारित करके प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज करते समय यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी ने कोई भी सामान लूटे जाने का कथन नहीं किया है और न ही कथित घटना के संबंध में कोई तिथि व समय ही दर्शाया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया गया।

आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित प्रार्थनापत्र में पत्नी के मायके जाने की तिथि का उल्लेख किया गया है किन्तु यह उल्लेख नहीं है कि किस तिथि व समय पर प्रार्थी को मारपीट कर उसका मोबाईल, ए.टी.एम. कार्ड व पासबुक आदि उसके कब्जे से हटाया गया। प्रार्थी की पत्नी द्वारा प्रार्थी के उक्त सामान अपने कब्जे में रखना एक तथ्य है तथा बल पूर्वक उसके कब्जे से छीन लिया जाना दूसरा तथ्य है। यदि पुनरीक्षणकर्ता चाहता तो प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त होने के उपरान्त सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करके सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कथित घटनाक्रम तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य की कोटि में आना परिलक्षित होता है।

धारा 95 भा0द0संहिता में यह प्राविधानित है कि, '' कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहान कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित हाने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ व स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा।''

उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि कथित तुच्छ

प्रकृति के मामले में विवेचना व विचारण कार्यवाही कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। ऐसी दशा में विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करके प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज करने में न तो अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है, न तात्विक अनियमितता बरती है और न ही कोई विधिक भूल कारित की है। अतः प्रश्नगत पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

दिनांक–02–8–2018

(नरेन्द्र बहादुर यादव),
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–02–8–2018

(नरेन्द्र बहादुर यादव),
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।